दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स बिहार

मार्च (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

बिहार **3**

- बिहार बजट 2022-23 3
- बिहार को नवीनगर से मिलेगी 559 मेगावाट बिजली 3
- बिहार की अनीता गुप्ता 'नारी शक्ति पुरस्कार'से सम्मानित 4
- राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की घर-घर शुरू करेगी डिलीवरी 4
- ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान राशि 5
- जमुई के जाबिर अंसारी ने कराटे चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक 5
- औद्योगिक भूमि के निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ 6
- बिहार दिवस 6
- बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 7
- बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन 7

नोट :

बिहार

बिहार बजट 2022-23

चर्चा में क्यों ?

- 28 फरवरी, 2022 को बिहार के वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वर्ष 2022-23 के लिये बजट प्रस्तुत किया।

प्रमुख बिंदु

- बिहार बजट 2022-23 छः सूत्रों- स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना (ग्रामीण एवं शहरी) तथा विभिन्न वर्गों का कल्याण पर आधारित है।
- बजट 2022-23 से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं-
  - कुल व्यय - 2,37,691,19 करोड़ रुपए
    - राजस्व व्यय - 1,91,9566.7 करोड़ रुपए
    - पूंजीगत व्यय - 45,734.52 करोड़ रुपए
  - कुल प्राप्तियाँ - 2,37,891.94 करोड़ रुपए
  - राजकोषीय घाटा- 25,885.10 करोड़ रुपए (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47 प्रतिशत)
- राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान FRBM अधिनियम की निर्धारित सीमा (2022-33 के लिये 4.0 प्रतिशत) के अंदर है।
- वर्ष 2022-23 के लिये राज्य की आर्थिक संवृद्धि दर 9.7 प्रतिशत अनुमानित है।
- बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
  - निश्चय 1. युवा शक्ति-बिहार की प्रगति
  - निश्चय 2. सशक्त महिला, सक्षम महिला
  - निश्चय 3. हर खेत तक सिंचाई का पानी
  - निश्चय 4. स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव
  - निश्चय 5. स्वच्छ शहर-विकसित शहर
  - निश्चय 6. सुलभ संपर्कता
  - निश्चय 7. सबके लिये अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

बिहार को नवीनगर से मिलेगी 559 मेगावाट बिजली

चर्चा में क्यों ?

- 6 मार्च, 2022 को औरंगाबाद में नवीनगर बिजलीघर की 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट ने लगातार 72 घंटे के ट्रायल रन को पूरा कर लिया। अब इस तीसरी यूनिट से बिहार को 559 मेगावाट बिजली मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- बिजलीघर को इसी महीने से व्यावसायिक उत्पादन करने की मंजूरी मिल जाएगी। अब नवीनगर की तीनों यूनिट चालू हो गई हैं, इस कारण बिहार को 1122 मेगावाट के बदले 1680 मेगावाट बिजली यहाँ से मिलेगी।

नोट :

- दरअसल, बिजलीघर से व्यावसायिक उत्पादन के पहले किसी भी यूनिट को लगातार फुल लोड में 72 घंटे चलाना होता है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के मानदंडों का पालन करते हुए नवीनगर यूनिट को सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया गया।
- 19,412 करोड़ रुपए की लागत से सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की तीन इकाइयों के साथ कुल 1980 मेगावाट की यह कोयला आधारित परियोजना बिहार के औरंगाबाद ज़िले के बारून प्रखंड में स्थित है।
- विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना की 84.8 प्रतिशत बिजली बिहार को आवंटित की है। बाकी बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को आवंटित की गई है।
- नवीनगर की पहली यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन 6 सितंबर, 2019 को तथा दूसरी यूनिट का 23 जुलाई, 2021 को हुआ था।
- वर्तमान में एनटीपीसी ने बिहार में कुल 76,246 करोड़ रुपए के निवेश से कुल 6 संयंत्रों द्वारा 8410 मेगावाट की विद्युत स्थापित उत्पादन क्षमता हासिल की है, जबकि बाढ़ थर्मल परियोजना की 1320 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है।
- एनटीपीसी प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने कहा कि बिहार को 5362 मेगावाट का विद्युत आवंटन है, जो नवीनगर की तीसरी यूनिट से मिलने वाली 559 मेगावाट के बाद बढ़कर 5921 मेगावाट हो जाएगा।

बिहार की अनीता गुप्ता 'नारी शक्ति पुरस्कार'से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली बिहार की अनिता गुप्ता को 'नारी शक्ति पुरस्कार'से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 2020 और 2021 के लिये 14-14 पुरस्कार दिए गए तथा एक पुरस्कार संयुक्त रूप से दो महिलाओं को प्रदान किया गया।
- ये पुरस्कार उद्यमशीलता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, वन्यजीव संरक्षण, भाषा विज्ञान, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य, स्टेम (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) और दिव्यांगजन अधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिये गए।
- भोजपुर, बिहार की सामाजिक उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) अनीता गुप्ता को वर्ष 2020 के लिये नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 50 हज़ार से अधिक वंचित ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया है।
- उल्लेखनीय है कि कमज़ोर और हाशिये पर रहने वाली महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को हर वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं हो पाया था।

राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की घर-घर शुरू करेगी डिलीवरी

चर्चा में क्यों ?

- 11 मार्च, 2022 को बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेज़ों को घर-घर पहुंचाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री ने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहाँ लोगों को डिजिटल भूमि दस्तावेज़ों की डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी।
- राज्य के गाँवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मँगवाया जा सकता है। डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व/भूमि अभिलेखों के वितरण के लिये स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

नोट :

- उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को खतियान (कब्ज़ा निर्धारित करने के लिये भूमि की पहचान करने का एक दस्तावेज़) सहित ज़मीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ के लिये सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
- राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने वाणिज्यिक एवं आवासीय, दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिये अप्रैल में एक गहन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान निर्वाचन क्षेत्र औराई (मुज़फ्फरपुर) से शुरू होगा और इसे राज्य के अन्य हिस्सों में चलाया जाएगा।

ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान राशि

चर्चा में क्यों ?

- 11 मार्च, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिये बिहार को 1,112.7 करोड़ रुपए की राशि जारी की। यह अनुदान सहायता वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य को सशर्त अनुदान की दूसरी किस्त है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिये कर्नाटक को 473.9 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 634.6 करोड़ रुपए जारी किये हैं। यह अनुदान सहायता वर्ष 2021-22 में कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को बिना शर्त अनुदान की दूसरी किस्त है।
- 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सशर्त अनुदान दो महत्त्वपूर्ण सेवाओं, अर्थात् स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) दर्जा को बनाए रखने और पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल के संचयन एवं जल पुनर्चक्रण को बेहतर बनाने के लिये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सिफारिशों पर ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को जारी किया जाता है।
- 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों पर ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को बिना शर्त अनुदान जारी किया जाता है।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिये निर्धारित कुल अनुदान सहायता में से 60 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल के संचयन और स्वच्छता (सशर्त अनुदान के रूप में संदर्भित) के लिये निर्धारित किया जाता है, जबकि 40 प्रतिशत अनुदान सहायता बिना शर्त है और स्थान विशेष की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं के विवेक पर इसका उपयोग किया जाता है।
- स्थानीय निकाय अनुदान दरअसल केंद्रप्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पेयजल के लिये केंद्र एवं राज्य द्वारा आवंटित धन के अलावा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिये है।

जमुई के जाबिर अंसारी ने कराटे चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

चर्चा में क्यों ?

- 14 से 17 मार्च, 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के जमुई के जाबिर अंसारी ने तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- पटना विश्वविद्यालय के जाबिर अंसारी ने इस प्रतियोगिता के 75 किलोग्राम भार वर्ग में वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी के राजेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया।
- 75 किलोग्राम भार वर्ग में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब के अमन कुमार ने पहला तथा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के वैभव वालिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
- उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय हाल में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में देश भर के 190 विश्वविद्यालय के लगभग 1200 खिलाड़ी शामिल हुए।

नोट :

- जूडो कराटे में दिग्गज बन चुके जाबिर अंसारी पटना विश्वविद्यालय में 2020-23 सत्र के उर्दू विभाग के छात्र हैं तथा साल 2015 से कराटे खेल रहे हैं।
- जाबिर अंसारी राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेलते हुए कई मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में श्रीलंका में आयोजित इंटरनेशनल गेम में दूसरा स्थान हासिल किया था। 2015 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता तथा वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया था।
- एक साधारण परिवार से आने वाले जाबिर जमुई ज़िले के नक्सल इलाके के झाझा प्रखंड के तुम्बा पहाड़ गाँव के रहने वाले हैं।
- वह 2018 में चीन और 2019 में टर्की में चैंपियनशिप में खेल चुके हैं तथा दो बार 2018 और 2021 में बिहार सरकार के खेल सम्मान समारोह में सम्मानित हो चुके हैं।

औद्योगिक भूमि के निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में ज़मीन की लागत कम करने के लिये एक बड़ा फैसला लेते हुए औद्योगिक भूमि के लिये निबंधन और स्टांप शुल्क को पूरी तरह माफ करने की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों के लिये सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराने की दिशा में यह फैसला लिया गया है।
- मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA) को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर स्टांप और निबंधन शुल्क नहीं देना होगा।
- इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी ज़मीन, जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिये होगा, उसके दस्तावेज़ों के निबंधन पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
- सरकार के इस निर्णय का लाभ केवल नई इकाइयों को ही मिलेगा, साथ ही निजी निवेशकों को 100 फीसदी रजिस्ट्री और स्टांप फीस में छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब उनके इन्वेस्ट प्रपोजल को राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद (SIPB) के स्टेज-1 से क्लीयरेंस मिली हो।
- निजी निवेशकों को छूट का फायदा केवल पहले ट्रांजेक्शन में लीज, बिक्री या ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स पर ही मिलेगा। इसके अलावा अगर निवेशक प्रदेश सरकार के तय नियमों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखेगा तो दी गई छूट की राशि की वसूली उद्योग विभाग निवेशक से करेगा।

बिहार दिवस

चर्चा में क्यों ?

- 22 मार्च, 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 110वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का पटना के गांधी मैदान में उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर पाँच सौ ड्रोन की सहायता से लेज़र शो का आयोजन किया गया, जिसमें पहले बिहार के मानचित्र को, तत्पश्चात् बिहार की सांस्कृतिक गौरव गाथा को प्रदर्शित किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया।
- गौरतलब है कि 22 मार्च, 1912 को अंग्रेज़ों ने बंगाल से पृथक् एक नए प्रांत 'बिहार' का गठन किया था।
- वर्ष 1905 में लागू किये गए बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ ही बिहार एवं असम का गठन किया गया था।
- वर्ष 2000 में बिहार से पृथक् एक नए राज्य 'झारखंड' की स्थापना की गई।

नोट :

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

- 28 मार्च, 2022 को उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के तहत मास्टर प्लान की ज़रूरतों के मुताबिक सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले ज़मीन अधिग्रहण में भू- स्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
- इससे पहले शहरी विकास के लिये अधिग्रहण के समय 80 प्रतिशत ज़मीन मालिकों की सहमति या कुल भू-भाग के 80 प्रतिशत हिस्से के ज़मीन के मालिकों की सहमति की बाध्यता थी।
- इस विधेयक के तहत राज्य सरकार अब शहरीकरण के लिये किसी स्थान पर ज़रूरत के मुताबिक भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। इसके एवज में संबंधित ज़मीन वाले व्यक्ति को मुआवज़ा दिया जाएगा।
- इसके साथ ही विधानसभा में चार अन्य राजकीय विधेयक भी पारित किये गए।
- बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 में राज्य में छोटे करदाताओं के लिये रिटर्न दायर करने में छूट दी गई है। अब वे तिमाही की बजाय वार्षिक रिटर्न दायर कर सकते हैं। डेढ़ करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिये कंपोजिट स्कीम शुरू की गई है।
- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 के तहत आयोग के अध्यक्ष के लिये अधिकतम उम्रसीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिये 70 वर्ष तय की गई है। पहले अध्यक्ष के लिये 72 वर्ष और सदस्य के लिये 65 वर्ष उम्रसीमा तय थी।
- कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में अब राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य होगी। सर्च पैनल तीन सबसे उपयुक्त लोगों के नामों का सुझाव राज्य सरकार को देगा। इसके बाद राज्यपाल की सहमति लेकर कुलपति का चयन किया जाएगा।

बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

- 30 मार्च, 2022 को 'बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक' विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो गया।

प्रमुख बिंदु

- इस संशोधन के तहत 2016 के मूल कानून में परिवर्तन करते हुए अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा।
- साथ ही, अगर कोई व्यक्ति शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यदि शराब की थोक बरामदगी किसी ऐसे अस्थायी परिसर से होती है, जिसे सीलबंद नहीं किया जा सकता है तो कलेक्टर के आदेश से ऐसे परिसर को ध्वस्त किया जा सकता है।

नोट :